

प्रेषक,

श्रम आयुक्त, हरियाणा।
चण्डीगढ़।

प्रेषित,

1. सभी उप श्रम आयुक्त,
श्रम विभाग, हरियाणा।
- ✓ 2. सभी सहायक श्रम आयुक्त,
श्रम विभाग हरियाणा।

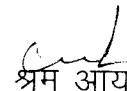
क्रमांक:- 29913-51 दिनांक:- 31.8.18

विषय:- मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम, 1961 के तहत पंजीकरण करवाने बारे।

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 27284-90 दिनांक 09.08.2018, क्रमांक 27252-83 दिनांक 09.08.2018 तथा पत्र क्रमांक 28554-92 दिनांक 23.08.2018 की निरन्तरता में।

विषय सम्बन्ध में आपको उक्त पत्रों द्वारा निर्देश दिये गये थे कि अपने अधीनस्थ कार्यक्षेत्र में आने वाले मोटर परिवहन उपक्रमों को प्रोत्साहित करते हुये मोटर परिवहन अधिनियम, 1961 के तहत रजिस्ट्रेशन करवाये तथा उसकी रिपोर्ट प्रतिदिन मुख्यालय को भिजवाये परन्तु आपकी तरफ से रिपोर्टें मुख्यालय में प्राप्त नहीं हो रही हैं।

अतः आपको पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि अपने अधीनस्थ कार्यक्षेत्र में आने वाले मोटर परिवहन उपक्रमों को प्रोत्साहित करते हुये अधिक से अधिक मोटर परिवहन अधिनियम, 1961 के तहत रजिस्ट्रेशन करवाते हुए अपनी प्रगति रिपोर्ट दिनांक 05.09.2018 तक मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

कृते:  श्रम आयुक्त, हरियाणा।